"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."



# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 76 ] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 15 मार्च 2007—फाल्गुन 24, शक 1928

### विधि एवं विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 मार्च 2007

### अधिसूचना

क्रमांक 2508/डी-246/21-ब/छ. ग./07.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233, सहपठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

### संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 5 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

   "रिक्तियों की संख्या तथा पदोन्नति के लिए विचारण क्षेत्र में आने वाले अधिकारियों का अनुपात 1/3 तथा अधिकारियों की उपयुक्तता, अनुसूची-(एक) में विहित मापदण्डों के संदर्भ के साथ परीक्षित किया जाएगा.

2. नियम 5 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) में "उच्च न्यायालय द्वारा" शब्द के पश्चात् शब्द "अनुसूची-2 के अनुसार" जोड़ा जाए.

3. नियम 5 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) में "उच्च न्यायालय द्वारा" शब्द के पश्चात् शब्द "अनुसूची 3 के अनुसार" जोड़ा जाए.

4. नियम 6 के पश्चात् नया नियम 6-क जोड़ा जाए, अर्थात् :-

6-क आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए परियोजित रिक्तियां, कैलेण्डर वर्ष के 15 जून के बाद अधिसूचित नहीं की जाएगी. उसके पश्चात् यदि आवश्यक समझा जाए, भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकेगी और कैलेण्डर वर्ष के 15 दिसम्बर को समाप्त होगी.

रिक्तियों को भरने एवं भर्ती के लिए समय सूची.

**स्पष्टीकरण** :- "कैलेण्डर वर्ष से अभिप्रेत है, वर्ष के 01 जनवरी से 31 दिसम्बर जब उच्चतर न्यायिक सेवा के पदों के लिए रिक्तियां अधिसूचित हो."

5. नियम 7 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"परन्तु यह और कि जहां अभ्यर्थी किसी कैलेण्डर वर्ष में जिसमें नियम 6-क के अनुसार रिक्तियां अधिसूचित की गई है, में नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए आयु में पात्र था, और यदि कुछ कारण से भर्ती की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकी है, ऐसे अभ्यर्थी आगामी भर्ती की कार्यवाही में आवेदन करने हेतु आयु में पात्र होगा."

6. नियम 18 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाए, अर्थात् :-

1. अनुसूची-एक

[ नियम 5 (1) (क) देखिए ]

| | | |
|---|---|---|
| (1) | उनके निर्णयों का मूल्यांकन | 40 अंक |
| (2) | वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का मूल्यांकन | 10 अंक |
| (3) | सतर्कता रिपोर्ट | 10 अंक |
| (4) | मौखिक परीक्षा | 40 अंक |
| | **कुल** | **100 अंक** |

2. अनुसूची-दो

[ नियम 5 (1) (ख) देखिए ]

विभागीय प्रतियोगी परीक्षा तीन प्रश्नपत्रों में, प्रत्येक के लिए समय-2 घण्टे प्रतियोगी परीक्षा :-

(एक) प्रश्नपत्र-(एक)-विधि (अधिकतम अंक-100)

(क) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
(अधिकतम अंक - 25)

(ख) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973
(अधिकतम अंक - 25)

(ग) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
(अधिकतम अंक - 25)

(घ) अभिवचन के सिद्धांत तथा भारतीय संविधान
(अधिकतम अंक - 25)

(दो) प्रश्नपत्र-(दो)-विधि (अधिकतम अंक-100)

(क) सिविल मामलों में विवाद्यकों की विरचना करना तथा निर्णय लेखन.
(अधिकतम अंक - 40)

(ख) आपराधिक मामलों में आरोपों की विरचना करना तथा निर्णय लेखन.
(अधिकतम अंक - 40)

(ग) अनुवाद
(क) अंग्रेजी से हिन्दी - 10 अंक
(ख) हिन्दी से अंग्रेजी - 10 अंक

(तीन) कार्य आंकना 50-अंक

(चार) मौखिक 50-अंक

3.

## अनुसूची-तीन
[ नियम 5 (1) (ग) देखिए ]

जिला न्यायाधीशों की भर्ती के लिए, प्रतियोगी परीक्षा होगी :-

**प्रतियोगी परीक्षा :-**

(एक) प्रश्नपत्र-(एक)-विधि (अधिकतम अंक-100)

(क) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
(अधिकतम अंक - 25)

(ख) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973
(अधिकतम अंक - 25)

(ग) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
(अधिकतम अंक - 25)

(घ) अभिवचन के सिद्धांत तथा भारतीय संविधान
(अधिकतम अंक - 25)

(दो) प्रश्नपत्र-(दो)-विधि (अधिकतम अंक-100)

(क) सिविल मामलों में विवाद्यकों की विरचना करना तथा निर्णय लेखन.
(अधिकतम अंक - 40)

(ख) आपराधिक मामलों में आरोपों की विरचना करना तथा निर्णय लेखन.
(अधिकतम अंक - 40)

(ग) अनुवाद (अधिकतम अंक - 20)
(क) अंग्रेजी से हिन्दी - 10 अंक
(ख) हिन्दी से अंग्रेजी - 10 अंक

(तीन) मौखिक 50-अंक

Raipur, the 15th March 2007

NOTIFICATION

No. 2508/D-246/XXI-B/C. G./07.—In exercise of the powers conferred by Article 233 read with proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, in consultation with the High Court hereby makes the following amendments in the Chhattisgarh Higher Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, namely :-

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. After clause (a) of sub-rule (1) of Rule-5, the following shall be added, namely :-

"The number of vacancies and the officers to be brought under the zone of consideration for promotion shall be in the ratio 1:3 and the suitability of the officers shall be tested with reference to norms prescribed in Schedule-I".

2. In clause (b) of sub-rule- (1) of Rule-5, after the words, "the High Court" the words "as per Schedule-II" shall be added.

3. In clause (c) of sub-rule- (1) of Rule-5, after the words, "the High Court" the words "as per Schedule-III" shall be added.

4. After Rule 6, the new rule 6-A shall be added, namely ;-

6-A. "Projected Vacancies for the next calendar year shall be notified not later than 15th of June of the calender year. Recruitment proceeding, if deemed necessary, may be commenced thereafter and shall be concluded by 15th of December of the calendar year. — Time Schedule for filling up vacancies & Recruitment.

**Explanation :-** Calandar year means 1st of January to 31st of December of the year when the vacancies for the post of Higher Judicial service are notified."

5. After clause (c) of sub-rule (1) of rule 7, the following proviso shall be added, namely :-

"Provided further that where a candidate who was eligible in age to apply for appointment in any calendar year in which vacancies were notified as per Rule 6-A and if for some reason recruitment proceeding could not be initiated, such candidate shall be eligible in age to appear in the following recruitment proceedings".

6. After Rule-18, the following Schedule shall be added, namely ;-

1. SCHEDULE-I

[ See Rule 5 (1), (a) ]

| | | |
|---|---|---|
| (1) | Evaluation of their judgments | 40 marks. |
| (2) | Evaluation of Annual Confidential Reports | 10 marks. |
| (3) | Vigilance Report | 10 marks. |
| (4) | Viva Voce test | 40 marks. |
| | **Total** | **100 marks.** |

2. SCHEDULE-II

[ See Rule 5 (1), (b) ]

Competitive departmental examination for the examination of 3 papers of 2 hours each.

**Competitive Examination**

I. Paper-I. Law (Maximum marks-100)

(a) The Code of Civil Procedure, 1908
(Maximum marks-25)

(b) The Code of Criminal Procedure, 1973
(Maximum marks-25)

(c) The Indian Evidence Act, 1872
(Maximum marks-25)

(d) Principles of pleading and the constitution of India
(Maximum marks-25)

II. Paper-II. Law (Maximum marks-100)

(a) Framing of Issues and writing of Judgment in Civil Cases.
(Maximum marks-40)

(b) Framing of charges and writing of Judgment in Criminal Cases.
(Maximum marks-40)

(c) Translation :- (Maximum marks-20)
  (a) English to Hindi 10 marks.
  (b) Hindi to English 10 marks.

III. Performance appraisal 50 marks.

IV. Viva voce 50 marks.

3. SCHEDULE-III

[ See Rule 5 (1), (c) ]

The competitive examination for recruitment of District Judges shall consist of :-

**Competitive Examination :-**

I. Paper-I. Law (Maximum marks-100)

(a) The Code of Civil Procedure, 1908
(Maximum marks-25)

(b) The Code of Criminal Procedure, 1973
(Maximum marks-25)

(c) The Indian Evidence Act, 1872
(Maximum marks-25)

(d) Principles of pleading and the constitution of India
(Maximum marks-25)

II. Paper-II. Law (Maximum marks-100)

(a) Framing of Issues and writing of Judgment in Civil Cases.
(Maximum marks-40)

(b) Framing of charges and writing of Judgment in Criminal Cases.
(Maximum marks-40)

(c) Translation :- (Maximum marks-20)

| | | |
|---|---|---|
| (a) | English to Hindi | 10 marks. |
| (b) | Hindi to English | 10 marks. |

III. Viva voce 50 marks.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**टी. पी. शर्मा**, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.